कानपुर, गुरुवार, 12 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 42, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड अमेरिका ने कतर और जॉर्डन में बढ़ाई तैनाती...>Pg12

20 हजार के निजी मुचलके पर शिवम की जमानत ...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

114 नए राफेल जेट खरीद को मंजूरी

एयरफोर्स को मिलेगी हाई पॉवर बूस्टर डोज

डीएसी की बैठक में बड़ा फैसला, स्क्वाड्रन गैप भरने और हाई-टेक एयर पॉवर बढ़ाने की दिशा में निर्णायक कदम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए 114 नए राफेल मल्टी-रोल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। प्रस्तावित सौदा राफेल विमानों की अब तक की सबसे बड़ी खरीद प्रक्रिया माना जा रहा है। इससे वायुसेना के घटते फाइटर स्क्वाड्रन बल को मजबूती मिलेगी और आधुनिक हथियार व तकनीक से लैस बेड़ा तैयार होगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार अधिग्रहण योजना बहु-भूमिका लड़ाकू विमान आवश्यकता के तहत आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें उन्नत रडार, आधुनिक एवियोनिक्स, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम से लैस विमान शामिल होंगे। योजना के तहत कुछ विमान तैयार हालत में मिलेंगे, जबकि बड़ी संख्या का निर्माण भारत में तकनीकी साझेदारी मॉडल के तहत प्रस्तावित है। इससे 'मेक इन इंडिया' और घरेलू एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी।। मंजूरी के बाद प्रस्ताव आगे की वित्तीय व संविदात्मक प्रक्रिया से गुजरते हुए अंतिम सरकारी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह फैसला फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे से पहले लिया गया है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सम्बन्धों को और मजबूत कर सकता है।

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की ताकत का दुनिया ने लोहा माना था। अब नए राफेल की अगली खेप आने से भारत की वायुसेना की ताकत को निश्चित रूप से हाई पॉवर डोज मिलेगा।

क्या मंजूर हुआ?

- 114 राफेल मल्टी-रोल फाइटर जेट खरीद प्रस्ताव
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की मंजूरी
- भारतीय वायुसेना के लिए अधिग्रहण

किसने दी मंजूरी?

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)
- अध्यक्षता: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

क्यों जरूरी है खरीद?

- वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन गैप को भरना
- दो-फ्रंट सुरक्षा चुनौती को ध्यान में रखकर तैयारी
- पुरानी हो रही फाइटर फ्लीट का आधुनिकीकरण
- हाई-टेक मल्टी-रोल क्षमता की जरूरत

क्या है राफेल की ताकत

- मल्टी-रोल फाइटर – एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड दोनों
- उन्नत रडार और एवियोनिक्स सिस्टम
- लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता
- आधुनिक मिसाइल और हथियार प्रणाली संगत

क्या है निर्माण का मॉडल

- कुछ विमान सीधे तैयार हालत में मिलेंगे
- बड़ी संख्या का निर्माण भारत में प्रस्तावित
- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर + इंडियन पार्टनरशिप मॉडल
- मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

क्या होगा रणनीतिक असर

- एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ेगी
- तेज तैनाती और जवाबी क्षमता मजबूत
- भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग और गहरा
- क्षेत्रीय वायु शक्ति संतुलन में मजबूती

- पहले भी भारत राफेल जेट शामिल कर चुका है
- नई खरीद पिछले बेड़े का विस्तार मानी जा रही
- रक्षा आधुनिकीकरण की बड़ी श्रृंखला का हिस्सा
- अंतिम अनुबंध से पहले वित्तीय व तकनीकी प्रक्रिया पूरी होगी

फैक्ट फाइल

- कुल प्रस्तावित विमान: 114
- मंजूरी देने वाली संस्था: रक्षा अधिग्रहण परिषद
- अध्यक्षता: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
- उपयोगकर्ता: भारतीय वायुसेना
- भूमिका: मल्टी-रोल फाइटर -(हवा-से-हवा, हवा-से-जमीन)

राफेल से वायुसेना के आधुनिकीकरण तक का सफर

- **पहले चरण:** वायुसेना ने अतिरिक्त मल्टी-रोल फाइटर जेट की जरूरत जताई
- **तकनीकी मूल्यांकन:** वैश्विक प्लेटफॉर्मों का परीक्षण व तुलना
- **प्रस्ताव तैयार:** मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अधिग्रहण योजना बनी
- **DAC बैठक:** रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में खरीद प्रस्ताव को मंजूरी
- **अगला चरण:** वित्तीय व संविदात्मक स्वीकृतियां
- **आगे:** अनुबंध हस्ताक्षर और आपूर्ति/निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी

अहिरवां में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, लगभग 30 बीघा क्षेत्र में ध्वस्तीकरण

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार 11.02.26 को प्रवर्तन जोन 4 के अंतर्गत मौजा अहिरवा में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के आदेशों तथा सचिव के निर्देशों के क्रम में की गई।

प्राधिकरण के अनुसार आराजी संख्या 1671, 1672, 1707, 1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1727 में लगभग 20 बीघा तथा आराजी संख्या 1563, 1567, 1568 में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत प्लाटिंग की गई थी।

इसी को लेकर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अभियान प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन जोन 4 अतुल कुमार राय, अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, सुपरवाइजर तथा प्रवर्तन दल की मौजूदगी में संपन्न कराया गया।

प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा।

ग्राम कपली में 7 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

कई प्लाटिंग कर्ताओं को चेतावनी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के आदेश और सचिव के निर्देश के क्रम में प्रवर्तन जोन 2ए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कपली स्थित आराजी संख्या 912 और 913 में लगभग 7 बीघा क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई प्रवर्तन प्रभारी संदीप मोदनवाल के नेतृत्व में की गई,

जिसमें प्रवर्तन दस्ता और संबंधित अवर अभियंता भी मौके पर मौजूद रहे।कार्रवाई के दौरान कई अन्य स्थानों पर चल रही अवैध प्लाटिंग को भी चिन्हित करते हुए प्लाटिंग कर्ताओं को चेतावनी जारी की गई और मानचित्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए।

जिन लोगों को चेतावनी दी गई उनमें शामिल हैं . ग्राम कपली, आराजी संख्या 942 – प्लाटिंग कर्ता विनोद पाल, ग्राम कपली, आराजी संख्या 942 पार्ट व 949 – प्लाटिंग कर्ता राजू चौहान व अन्य ग्राम कपली, आराजी संख्या 250 व 251 – प्लाटिंग कर्ता स्रोत गुप्ता व अन्य,ग्राम बारासिरोही, आराजी संख्या 1020 व 1030, जवाहरपुरम सेक्टर 4 के पास प्लाटिंग कर्ता सतीश राजपूत व धनीराम

ग्राम कपली, आराजी संख्या 225 – प्लाटिंग कर्ता शिवराम सिंह

प्राधिकरण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संबंधित लोगों द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया तो बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी तथा भू माफिया के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

महाशिवरात्रि की तैयारियों का डीएम ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए कड़े निर्देश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्व के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली जाएं।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाए और प्रतिदिन इसकी निगरानी सुनिश्चित की जाए। मंदिर परिसर तथा आसपास के मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा गया। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए पुरुष और महिला श्रद्धालुओं की अलग-अलग कतारें बनाने, मजबूत बैरिकेडिंग कराने तथा प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट दिशा-सूचक पट्ट लगाने के निर्देश दिए गए।

प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराने और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त अस्थायी प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान रातभर आवागमन रहेगा, इसलिए कहीं भी अंधेरा या अव्यवस्था की स्थिति नहीं होनी चाहिए।इसके अलावा पार्किंग की समुचित व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, पर्याप्त अस्थायी शौचालय और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर समन्वय आधारित कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रशासन और प्रबंधन के बीच निरंतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जनपद के सभी प्रमुख शिवालयों में इसी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली तथा एक समन्वित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें नगर निगम, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।निरीक्षण के दौरान नगर निगम, पुलिस, विद्युत विभाग, जल संस्थान सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्ल्ड युनानी डे पर सेमिनार व औषधि प्रदर्शनी लगाई गई

युनानी चिकित्सा पद्धति के महत्व, प्रभाव और प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। वर्ल्ड युनानी डे के अवसर पर नुडवा (NUDW) एवं एआईयूटीसी (AIUTC) के संयुक्त तत्वावधान में हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज के सभागार में सेमिनार एवं युनानी औषधियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में युनानी चिकित्सा पद्धति के महत्व, प्रभावशीलता और प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया।

मुख्य अतिथि डॉ. मोहम्मद शाहिद एवं डॉ. निरंकार गोयल रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. तनवीर अख्तर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूरो सर्जन डॉ. ज़ुबैर सरकार उपस्थित रहे। संचालन डॉ. मोहम्मद अलीम और डॉ. आफताब आलम ने किया। डॉ. मोहम्मद शाहिद ने कहा कि युनानी औषधियां अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और इनके दुष्प्रभाव कम होते हैं। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। डॉ. ज़ुबैर सरकार ने कहा कि युनानी चिकित्सा के सिद्धांतों का गंभीर अध्ययन इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करता है।डॉ. तनवीर अख्तर ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इसे जन-जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। संयोजक डॉ. जीशान अंसारी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉ. इफ्तिखार, डॉ. आलम, डॉ. अबु सामा खुर्शीद, हयात ज़फ़र हाशमी, इखलाक अहमद डेविड, शाहिद कामरान, अलीम खान, अबुल हसन, सैय्यद अबरार अली सहित बड़ी संख्या में युनानी चिकित्सा से जुड़े चिकित्सक, छात्र एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

रईसजादे शिवम को कोर्ट से 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत

तेज रफ्तार लैंबोर्गिनी कार हादसा मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली राहत, आरोपों से मुक्ति नहीं

खबरः एक नजर में

- चर्चित लैंबोर्गिनी कार हादसा मामले में आरोपी शिवम को अदालत से जमानत
- कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया
- घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था
- हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना, सभी खतरे से बाहर बताए गए
- बचाव पक्ष ने कहा – आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है
- अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताया
- पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के चर्चित लैंबोर्गिनी कार हादसा प्रकरण में आरोपी शिवम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत आदेश के साथ ही यह मामला एक बार फिर शहर में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार मामला शहर में तेज रफ्तार लैंबोर्गिनी कार से जुड़े विवाद और सड़क पर हुए हंगामे से जुड़ा है। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया और प्राथमिक उपचार कराया गया। पुलिस का कहना है कि सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं, हालांकि आधिकारिक सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और आरोपों की सत्यता अभी न्यायिक प्रक्रिया में तय होनी बाकी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश पारित किया।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी शिवम एक तंबाकू कारोबारी परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। उसके पिता लंबे समय से निजी व्यापार से जुड़े हैं। हालांकि परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

20 सूत्रीय मांगों को लेकर आयकर अधिकारियों-कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर. आयकर कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सर्किल की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को कानपुर मुख्यालय समेत पूरे सर्किल के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 20 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया।

कानपुर के सिविल लाइंस स्थित आयकर भवन प्रांगण में प्रातः से मध्यावकाश तक चले धरने में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कैडर रिव्यू एवं पुनर्गठन को शीघ्र लागू करने, नॉन-आईआरएस कैरियर प्रगति समिति की रिपोर्ट में संयुक्त संघर्ष समिति के सुझाव शामिल करने, 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में संघ की मांगों को सम्मिलित करने तथा 1 जनवरी 2026 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की मांग उठाई।

इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 18 माह के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान और कैजुअल श्रमिकों के नियमितीकरण जैसी मांगों को भी प्रमुखता से रखा गया।

धरने को महासचिव राघवेन्द्र सिंह और महासचिव सुनील कुमार ने संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एस.के. वर्मा ने की। इस दौरान वरिष्ठ नेता शरद प्रकाश अग्रवाल सहित अनेक पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया।

एटीएम बदलकर ठगी करने वाले दो शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

⇨ मदद के बहाने कार्ड बदलकर निकालते थे रकम, भागते समय दौड़ाकर दबोचा गया एक आरोपी

कानपुर। कल्याणपुर पुलिस ने एटीएम बूथों पर लोगों को मदद का झांसा देकर उनका कार्ड बदलकर रकम हड़पने वाले दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि दूसरे को पनकी के रतनपुर इलाके से उठाया गया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

बुधवार शाम पनकी के रतनपुर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचलित हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को दौड़ाकर पकड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया युवक अपने साथी के साथ मिलकर एटीएम बूथों के आसपास खड़े होकर लोगों को मदद की पेशकश करता था। इसी दौरान चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल देता था और बाद में खाते से रकम निकाल लेता था। पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की शिकायतें मिल रही थीं। हुलिए के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दोनों आरोपितों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई।

डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि पुलिस टीम को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे थे। एक को तत्काल दबोच लिया गया, जबकि दूसरे को बाद में रतनपुर से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और वारदातों की भी जांच कर रही है।

बिकरु कांडः इलाहाबाद हाईकोर्ट से नौ आरोपियों को झटका, जमानत अर्जी खारिज

सभी आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी नामजद, 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। चर्चित बिकरु कांड से जुड़े नौ आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नामजद आरोपी जहान यादव समेत नौ अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सभी आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी नामजद हैं और 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद हैं। जस्टिस वानी रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समानता (पैरिटी) जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।

आरोपियों की ओर से दाखिल अपील में कहा गया कि सह-आरोपी शिव तिवारी को जमानत मिल चुकी है, जबकि याचिकाकर्ताओं पर भी समान आरोप हैं, इसलिए समानता के आधार पर उन्हें भी जमानत दी जाए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि चौबेपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

सभी पर मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने, कई को घायल करने और सरकारी हथियार लूटने का आरोप है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो उनके कानून की पकड़ से दूर भाग जाने की आशंका है। कोर्ट ने जहान यादव के अलावा जयकांत चौबे, विष्णु कांत पाल, धर्मेंद्र कुमार, उमाकांत, छोटू शुक्ला, शशिकांत, राम सिंह और श्यामू बाजपेई की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

क्या था बिकरु कांड

चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरु गांव में 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस टीम कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने दबिश देने गई थी। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे विकास दुबे और उसके गैंग ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए और छह अन्य घायल हुए।

शहीद होने वालों में शिवराजपुर एसओ महेश यादव, मंधना चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सिंह, एसआई नेबू लाल, सिपाही जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, राहुल कुमार और बबलू कुमार शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 30 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रायल कोर्ट ने 23 अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई, जबकि सात को बरी कर दिया था। सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद नौ आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

पनकी स्थित प्राचीन चिंताहरण महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर । रतनपुर अंतर्गत पार्ट 2 सुजानपुर गांव, पनकी स्थित प्राचीन चिंताहरण महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर निकाली गई धार्मिक यात्रा में क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस पावन अवसर पर अनिल शुक्ला वारसी ने शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का विधिवत दर्शन-पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया।यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामवासी और शिवभक्त मौजूद रहे। हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। भक्तों में मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर विशेष उत्साह और आस्था देखने को मिली।

नमस्ते इंडिया के नाम पर नकली देसी घी का खेल बेनकाब

» खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में फर्जी पैक बरामद

» कंपनी मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई, ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर ग्राहकों से ठगी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।चौबेपुर क्षेत्र में 'नमस्ते इंडिया' ब्रांड के नाम पर नकली देसी घी बेचने के मामले का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग और चौबेपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 12 जनवरी को सांवरिया किराना एवं जनरल स्टोर पर छापा मारकर कार्रवाई की। जांच में नकली घी का निर्माण और बिक्री सामने आने पर दुकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार घनश्यामपुर के अबाबकपुर निवासी राजबहादुर यादव सांवरिया किराना एवं जनरल स्टोर का संचालक है।

उस पर प्रतिष्ठित 'नमस्ते इंडिया' ब्रांड के नाम और पैकेजिंग का दुरुपयोग कर नकली देसी घी बेचने का आरोप है। छापेमारी के दौरान दुकान से 180 मिलीलीटर के 88 पैकेट, 400 मिलीलीटर के तीन पैकेट और 900 मिलीलीटर के 15 पैकेट संदिग्ध घी बरामद किया गया।मामले की शिकायत 'नमस्ते इंडिया' कंपनी के जनरल मैनेजर मनोज कुमार सिंह ने चौबेपुर थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कंपनी का कार्यालय फजलगंज, कालपी रोड पर स्थित है और ब्रांड भारत सरकार में पंजीकृत है। आरोपी द्वारा नकली उत्पाद बेचने से कंपनी को आर्थिक नुकसान और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही थी।चौबेपुर थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरामद माल को जांच के लिए भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

सम्पादकीय

हितधारक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फ्रॉड सीधे-सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठग खाताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है।इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी-जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की जरूरत है पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत-फुरत काम करें। इसके लिये जरूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है।

निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटे राज्य के सालाना बजट से अधिक करीब 54 हजार करोड़ रुपये की धनराशि साइबर डकैती से लूट ली गई है। जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों की भूमिका बनी हुई है। आज देश के बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व भोले-भाले इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं।

किशोरों की यौन स्वायत्तता से जुड़े यक्ष प्रश्न

यशवंत सचदेव

किशोरावस्था में शरीर में प्राकृतिक रूप से हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस उम्र में आकर्षण, अनुराग और प्रेम जैसे कोमल भाव तथा विपरीत लिंग की यौनता को जानने की तीव्र इच्छा किशोरों के सामान्य लक्षण हैं। उचित मार्गदर्शन व ानकारी..किशोरावस्था में शरीर में प्राकृतिक रूप से हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस उम्र में आकर्षण, अनुराग और प्रेम जैसे कोमल भाव तथा विपरीत लिंग की यौनता को जानने की तीव्र इच्छा किशोरों के सामान्य लक्षण हैं। उचित मार्गदर्शन व जानकारी के अभाव में प्रायः किशोर भटकते है।किशोर यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) के दुरुपयोग को लेकर चिन्ता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से यह विचार करने को कहा है कि क्यों न 'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध जोड़कर किशोरों के सहमति से बने यौन व्यवहार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया जाए।

इस परामर्श का उद्देश्य किशोरों को अपराधीकरण से बचाने के साथ उनकी यौन स्वायत्तता को व्यावहारिकता के नजरिए से देखना भी है।राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रकाशन 'क्राइम इन इण्डिया-2023' के अनुसार पूरे देश में 'पोक्सो एक्ट' के अन्तर्गत कुल 7,305 मामले दर्ज हुए थे, इनमें से 4,321 मामले बलात्कार, 2,619 गलत यौन-स्पर्श और 264 मामले अन्य प्रकार के यौन-उत्पीड़न से सम्बन्धित थे। इन मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के 2,478 नाबालिगों की संलिप्तता भी पाई गई थी जिन्हें हिरासत में लिया गया था।18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच शारीरिक सम्बन्ध 'पोक्सो एक्ट' के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया प्रतिबन्धित है और घोषित संगीन अपराध है। अतः नाबालिगों के बीच सहमति से बने शारीरिक सम्बन्धों के मामलों में कानून लागू करने वाली एजेंसियां अक्सर इस दुविधा में पड़ जाती है कि कानून को 'जैसा है वैसा ही' लागू किया जाए या 'जैसा होना चाहिए' विदित हो कि कानून की व्याख्या करने और उसे 'जैसा होना चाहिए' वैसा लागू करने के आदेश देना केवल संवैधानिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। पुलिस और निचली अदालतें कानून को जस का तस लागू करने के लिए ही अधिकृत हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस विषय पर ऐसा उपाय करने का सुझाव दिया है, जिससे सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने वाले अवयस्कों को कानून का संरक्षण प्राप्त करने के लिए बार-बार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में न आना-जाना पड़े। इस उपाय को सर्वोच्च न्यायालय ने 'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध की संज्ञा दी है।'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रथाओं में पहले से ही मौजूद है, जहां अवयस्कों के बीच बने सम्बन्धों और निकटता की बारीकियों को मानव विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। इन कानूनों को इस प्रकार बनाया गया है कि आपराधिक यौन-विचलन और सहमति पर आधारित गैर-शोषणकारी किशोर शारीरिक सम्बन्धों के बीच कानून लागू करने वाली संस्थाएं अपने स्तर पर ही विभेद कर सके ताकि किशारों के अनावश्यक अपराधीकरण को रोका जा सके।संयुक्त राज्य अमेरिका के कम से कम 43 राज्यों ने यौन गतिविधियों में संलिप्त किशोरों को अपराधी बनाए जाने से बचाने के लिए 'क्लोज-इन-एज' छूट (आयु-समीपता अपवाद) सिद्धांत को अपनाया है। इस अपवाद में एक आयु वर्ग के किशारों को अपने से नजदीक के आयु वाले अवयस्क के साथ सहमति से किया गया यौन व्यवहार को अपराध नहीं माना जाता है। कनाडा में 14 और 15 वर्ष के अवयस्क अपने से पांच वर्ष के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ सहमति से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। फिलीपींस के कानून में 16 वर्ष की आयु वाले किशोरों को तीन वर्ष के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ शारीरिक निकटता की अनुमति है। जॉर्जिया में नाबालिगों द्वारा परस्पर सहमति से तीन वर्ष तक के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ यौन व्यवहार को बलात्कार नहीं दुर्व्यवहार माना जाता है। भारत में यौन सहमति की आयु 18 वर्ष है, यहां तक कि असहमति से बनाए गए सम्बन्ध को लेकर नाबालिग पत्नी अपने पति पर भी दुराचार का मुकदमा दायर कर सकती है। 'पोक्सो एक्ट' एक लिंग-निरपेक्ष कानून है और इस कानून में अवयस्कों द्वारा यौन व्यवहार के लिए दी गई पारस्परिक तथ्यात्मक सहमति की मान्यता नहीं है। तदानुसार, नाबालिगों द्वारा यौन गतिविधियों में संलिप्तता स्वतः ही अपराध बन जाती है।सहमति से सम्बन्ध स्थापित करने वाले किशोरों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने में 'पोक्सो एक्ट' की धारा 19(1) का प्रमुख योगदान है, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिनमें चिकित्सा पेशेवर भी शामिल हैं, यदि किसी नाबालिग के यौन गतिविधि में शामिल होने की जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो उसे इसकी सूचना पुलिस को देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

प्रकृति रक्षा के लिए कड़े कानूनी बदलावों की जरूरत

प्रकृति का नरसंहार

पुष्परंजन

औद्योगिक घराने पर्यावरण का नुकसान करके भारी मुनाफा कमाते हैं और कानून उल्लंघन पर जुर्माने की मामूली राशि चुका देते हैं। इस व्यवस्था ने पैसे को संरक्षण के बजाय विनाश का 'लाइसेंस' बना दिया है। ईकोसाइड अवधारणा इस दायित्व को 'कठोर आपराधिक उत्तरदायित्व' में बदलने की वकालत करती है।मानवता ने अपनी प्रगति की गाथा अक्सर प्रकृति की कीमत पर लिखी है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, हमने विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के ढेर तो खड़े कर लिए, लेकिन इसकी वजह से नदियों को विषाक्त नालों और हरे-भरे जंगलों को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। आज जब हिमालय की नींव धंस रही है और हवा सांसों में जहर घोल रही है, तब एक तीखा सवाल सामने है - क्या अपराध इंसानों के खिलाफ ही 'संगीन' होते हैं?

इसी सवाल से एक क्रांतिकारी शब्द ने जन्म लिया - 'ईकोसाइड' यानी 'प्रकृति का नरसंहार'। जिस प्रकार विश्व ने 'जेनोसाइड' को मानवता के विरुद्ध वीभत्स अपराध मानकर दंडित किया, अब प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे इस व्यवस्थित विनाश को भी उसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी श्रेणी में रखा जाए। अब न्याय केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगलों और नदियों के लिए भी होना चाहिए, जिनका अस्तित्व हमारी लालसा की भेंट चढ़ गया।वर्तमान परिदृश्य में 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे' का सिद्धांत अपनी सार्थकता खोकर केवल 'वैध व्यापारिक लागत' बनकर रह गया है। बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घराने पर्यावरण विनाश से भारी मुनाफा कमाते हैं और कानूनों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को अपनी बैलेंस शीट में मामूली खर्च मानकर चुका देते हैं। इस व्यवस्था ने पैसे को संरक्षण के बजाय विनाश का 'लाइसेंस' बना दिया है। ईकोसाइड की अवधारणा इसी खामी पर प्रहार करते हुए नागरिक दायित्व को 'कठोर आपराधिक उत्तरदायित्व' में बदलने की वकालत करती है। संदेश देती है कि प्रकृति कोई 'कमोडिटी' नहीं जिसे नष्ट करके उसकी कीमत चंद रुपयों में चुकाई जा सके; बल्कि जीवंत

इकाई है।जब भोपाल गैस त्रासदी और श्रीराम फर्टिलाइजर्स जैसी भयावह घटनाएं हुईं, तो न्यायपालिका ने कानून की सीमाओं को विस्तार दिया। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) के मामले में 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' (पूर्ण दायित्व) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पष्ट किया कि यदि कोई उद्योग किसी खतरनाक गतिविधि में लगा है और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है, तो वह उद्योग बिना अपवाद उत्तरदायी होगा। ईकोसाइड कानून इसी 'पूर्ण दायित्व' के विचार को अगले स्तर पर ले जाता है। यह केवल क्षतिपूर्ति की बात नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत जवाबदेही और जेल की सजा का प्रावधान करता है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों में कानून का भय और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा हो। कानूनी रूपांतरण का वह चरण जहां पर्यावरण का विनाश मानवता के खिलाफ संगीन जुर्म माना जाएगा।इस कानूनी विमर्श का मुख्य केंद्र 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण से हटकर 'प्रकृति-केंद्रित' न्यायशास्त्र को अपनाना है। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 51ए(जी) और 21) पहले से ही पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य और अधिकार मानता है। लेकिन अब समय है प्रकृति के 'स्वतंत्र अधिकारों' को मान्यता देने का। ए. नागराजा (2014) और सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य (2017) जैसे मामलों ने जानवरों और नदियों (गंगा-यमुना) को 'विधिक व्यक्ति' का दर्जा देकर नई राह दिखाई है। यदि एक नदी कानून की नजर में 'व्यक्ति' है, तो उसे प्रदूषित करना 'हत्या के प्रयास' जैसा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।वैश्विक स्तर पर ईकोसाइड को अपराध घोषित करने की मुहिम तेज हो रही है, जहां बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों ने अपने घरेलू कानूनों में इसे शामिल कर मिसाल पेश की है। वर्तमान में 'स्टॉप ईकोसाइड इंटरनेशनल' जैसे संगठन यह प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की 'रोम संविधि' में संशोधन कर ईकोसाइड को नरसंहार और युद्ध अपराधों की श्रेणी में 'पांचवां अंतर्राष्ट्रीय अपराध' घोषित किया जाए। ताकि कोई राष्ट्र या कॉर्पोरेट विकास की आड़ में पर्यावरण को अपूरणीय क्षति न पहुंचा सके।भारत के लिए ईकोसाइड कानून अपनाना केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा। 'वसुधैव कुटुंबकम्' और 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' के दर्शन को मानने वाले देश के लिए प्रकृति के अधिकारों की रक्षा करना एक स्वाभाविक कदम है। यह कानून विकास का विरोधी नहीं, बल्कि 'जिम्मेदार और सतत विकास' का समर्थक है। यह संतुलित प्रगति की परिभाषा है जहां मानवता और प्रकृति सह-अस्तित्व में फलें-फूलें।निश्चित रूप से, ईकोसाइड कानून के मार्ग में 'गंभीर क्षति' को परिभाषित करने और साक्ष्य जुटाने जैसी चुनौतियां हैं। इसके समाधान के लिए हमें अपने कानूनी शिक्षण में 'अर्थ ज्यूरिसप्रुडेंस' को शामिल करना होगा। अब हम जोशीमठ जैसे संकटों या दम तोड़ती नदियों को केवल 'प्राकृतिक आपदा' का लेबल न दें, बल्कि उन मानवीय निर्णयों की आपराधिक जांच करें ।

शौचालय बना शर्मिंदगी की वजह, टूटा दरवाजा गंदगी का अंबार

सैकड़ों फरियादियों की आवाजाही वाले परिसर में मूलभूत सुविधा बदहाल

- बिल्हौर तहसील परिसर का शौचालय बदहाल हालत में मिला
- मुख्य दरवाजा टूटा, अंदर गंदगी और कचरे का अंबार
- शौचालय के भीतर शराब के खाली पाउच मिले
- पानी की व्यवस्था ठप, नियमित सफाई नहीं
- रोजाना सैकड़ों फरियादी और अधिवक्ता आते हैं परिसर
- मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ रहा
- रात में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की आशंका
- तहसीलदार ने सफाई और मरम्मत का दिया आश्वासन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील परिसर में बने सार्वजनिक शौचालय की बदहाल स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शौचालय का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ एक ओर पड़ा मिला, जिससे अंदर की गंदगी और अव्यवस्था खुलकर सामने आ गई। फर्श पर कचरा फैला है, कोनों में गंदगी जमी हुई है और दीवारों पर दाग नजर आ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शौचालय के भीतर शराब के खाली पाउच भी पड़े मिले, जो रात के समय असामाजिक तत्वों की आवाजाही की आशंका को मजबूत करते हैं।

तहसील परिसर में प्रतिदिन सैकड़ों फरियादी, अधिवक्ता और ग्रामीण अपने जरूरी कार्यों के लिए पहुंचते हैं। इसके बावजूद यहां मौजूद शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा की हालत बेहद खराब है। पानी की टंकी सूखी मिली और नियमित सफाई का कोई निशान नहीं दिखा। अंदर इतनी तीखी दुर्गंध है कि कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। मजबूरी में लोगों को परिसर से बाहर शौचालय ढूंढने जाना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों और फरियादियों का कहना है कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। टूटा दरवाजा और अंदर पड़ी शराब की पन्नियां यह भी संकेत देती हैं कि रात में परिसर की निगरानी प्रभावी नहीं है। तहसील जैसे संवेदनशील सरकारी कार्यालय में इस तरह की स्थिति सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।

स्वच्छता को लेकर शासन-प्रशासन के दावों के बीच तहसील परिसर की यह तस्वीर जमीनी हकीकत उजागर कर रही है। मामले में तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने कहा कि प्रकरण उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही साफ-सफाई व मरम्मत कराई जाएगी।

विशेष पुनरीक्षण को लेकर एसडीएम ने की राजनीतिक दलों संग बैठक

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। उप जिलाधिकारी कार्यालय बिल्हौर में बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग वाले मतदाताओं एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगति) वाले मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करने तथा उनकी सुनवाई की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के संबंध में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को आवश्यक निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने कहा कि मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की समस्याओं के निस्तारण में बीएलओ सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार की जा सके। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अब तक प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की संख्या की जानकारी भी बैठक में साझा की। साथ ही राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे अपने-अपने बूथ अध्यक्षों के माध्यम से 'नो मैपिंग' एवं तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सहायता करें, जिससे पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

➪ राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे मतदाताओं की सहायता करें

बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जे पी कटियार, बहुजन समाज पार्टी के विनय कुमार गौतम, समाजवादी पार्टी के साहिर हुसैन जाफरी सहित के जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी व सुव्यवस्थित बनाने का भरोसा जताया। इस दौरान नायब तहसील सीपी राजपूत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लायर्स एसोसिएशन में महामंत्री पद पर कांटे की टक्कर

खेमेबंदी तोड़ने में जुटे दावेदार

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। द लायर्स एसोसिएशन, बिल्हौर के वार्षिक चुनाव में इस बार केवल महामंत्री पद पर सीधा मुकाबला है। कुशल पांडे एडवोकेट और विशाल सैनी एडवोकेट के बीच चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है।

17 फरवरी को सुबह से मतदान होगा, जिसमें संगठन के 141 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।इधर, चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है। दोनों दावेदार न केवल अपने समर्थकों को साधने में जुटे हैं, बल्कि एक-दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अधिवक्ताओं के बीच बैठकों, दावतों और व्यक्तिगत संपर्क का दौर लगातार चल रहा है। दावत-पार्टियों के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई जा रही है। समर्थकों के साथ चेंबर से लेकर घरों तक संपर्क अभियान चल रहा है। चुनाव नजदीक आते ही संघ परिसर में खेमेबंदी और जोड़-तोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

➪ 17 फरवरी को मतदान, दावतों और जनसंपर्क से तेज हुई चुनावी सरगर्मी

बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने को मीना मंच कार्यशाला

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक बिल्हौर में कम्पोजिट एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए दो दिवसीय मीना मंच कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन संदर्भदाता डॉ. कामायनी शर्मा एवं सुश्री अनीता द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार ने बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, अधिकार और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मूल्यपरक चर्चा करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएं छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यालयों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मीना मंच के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को उनके अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। कार्यशाला में 50 से अधिक सुगमकर्ताओं ने प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

➪ महिला सशक्तिकरण व बालिका शिक्षा अभियान के तहत दिया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के सफल संचालन में डॉ. कामायनी शर्मा और सुश्री अनीता का विशेष योगदान रहा। प्रशिक्षण में आशा कटियार, बीना गौतम, निहारिका पाल, आशा गुप्ता, प्रीति, कविता सिंह, रंजना कनौजिया, पूजा गंगवार आदि रहीं।

धर पकड़

कोडीन कफ सिरप प्रकरण में बड़ी कार्यवाही

आरोपी विनोद अग्रवाल, परिजनों की कानपुर में 5 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क

डीसीपी वरूणा जोन प्रमोद कुमार के निर्देशन में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा लिया गया एक्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

वाराणसी/कानपुर। सारनाथ थाना पुलिस ने कोडिन कफ सिरप तस्करी से जुड़े बड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद अग्रवाल और उसके परिजनों की अपराध से अर्जित लगभग 5,18,24,795 रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया। पुलिस टीम ने सभी संपत्तियों पर फ्रीज संबंधी बैनर लगाकर खरीद-फरोख्त और उपयोग पर रोक लगा दी है।

यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि कानपुर नगर के पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल कोडिन कफ सिरप की अवैध तस्करी से लंबे समय से जुड़ा था और इसी माध्यम से उसने बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी का अवैध फर्मों के साथ लगभग 6-7 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ था।

इसके बाद पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत मादक पदार्थ कानून की धारा 68-एफ के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को जब्त करते हुए फ्रीज कर दिया।

फ्रीज की गई संपत्तियों में कानपुर नगर स्थित कई आवासीय और व्यावसायिक मकान, प्लॉट तथा एक बैंक खाते में जमा 37,42,995 रुपये शामिल हैं। कार्रवाई के समय पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही और पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

मेरठ में रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने फंदे पर झूलकर दी जान

» सुबह सफाई के लिए पहुंची नौकरानी ने देखा दृश्य, पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

» प्रारंभिक जांच में अवसाद और अकेलेपन की आशंका, मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ।यूपी के मेरठ के गंगानगर क्षेत्र स्थित रक्षापुरम सेक्टर-4 में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी के शव घर के कमरे में फंदे से लटके मिले।सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है।

पुलिस के अनुसार रक्षापुरम सेक्टर-4 निवासी चौधरी लल्लू सिंह (रिटायर्ड दरोगा) वर्ष 2020 में यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे। वह अपनी पत्नी संतोष देवी के साथ मकान में अकेले रहते थे। बुधवार सुबह करीब पौने नौ बजे नौकरानी रेखा घर पहुंची। मुख्य गेट खुला होने पर वह अंदर गई तो कमरे में दोनों के शव पंखे से लटके देख उसकी चीख निकल गई। उसने तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मेज पर स्टूल रखकर पंखे में फंदा डालकर दोनों ने जान दी। संतोष देवी का शव आगे और लल्लू सिंह का शव पीछे की ओर लटका मिला। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लिए।शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है।जांच में सामने आया कि दंपति का बेटा परिवार सहित अलग मकान में रहता है। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक तनाव और अकेलेपन के कारण दोनों अवसाद में थे। हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है।

10 साल में जर्जर हुआ 30 शैय्या मेटरनिटी विंग, लेबर रूम में टपक रहा पानी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद। महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्ष 2014 में बना 30 शैय्या का मेटरनिटी विंग अब बदहाली का शिकार हो गया है। निर्माण में कथित लापरवाही के चलते करीब 9ङ्क10 वर्षों में ही तीन मंजिला भवन जगह-जगह से टपकने लगा है। हालात यह हैं कि लेबर रूम और जच्चा-बच्चा कक्ष में पानी धार बनकर गिर रहा है, जिससे कमरों में जलभराव हो जाता है और प्रसूति सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

सपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को बेहतर प्रसव सेवाएं देने के उद्देश्य से इस विंग का निर्माण कराया गया था। उस समय इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में भवन की हालत लगातार खराब होती गई। वर्तमान में तीन मंजिला इमारत में केवल भूतल पर ही सेवाएं संचालित हो रही हैं, जबकि ऊपरी मंजिलों का उपयोग लगभग बंद है।

आयरन सुक्रोज कक्ष समेत कई कमरों में पानी भरने से स्टाफ नर्स और आशा कार्यकर्ताओं ने बैठना बंद कर दिया है। कुछ कमरों में ताले लगा दिए गए हैं। भवन में स्थापित लिफ्ट भी अब तक चालू नहीं हो सकी है। करीब तीन वर्ष पूर्व इस विंग की खराब स्थिति का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था और जांच टीम भी आई थी, लेकिन ठोस सुधार नहीं हो सका।

इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दीपक गुप्ता ने बताया कि टपकाव की समस्या से उच्चाधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को अवगत करा दिया गया है और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।

- » वर्ष 2014 में बना 30 शैय्या मेटरनिटी विंग 9ङ्क10 साल में जर्जर हालत में
- » तीन मंजिला भवन जगह-जगह से टपक रहा, लेबर रूम में पानी गिर रहा
- » जच्चा-बच्चा कक्ष और अन्य कमरों में जलभराव से सेवाएं प्रभावित
- » वर्तमान में केवल भूतल पर ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित
- » ऊपरी मंजिलों का उपयोग लगभग बंद, कई कमरों पर ताले
- » आयरन सुक्रोज कक्ष में पानी भरने से स्टाफ नर्स व आशा कार्यकर्ताओं ने बैठना छोड़ा
- » भवन में लगी लिफ्ट स्थापना के बाद से अब तक चालू नहीं
- » करीब तीन वर्ष पहले मामला विधानसभा में भी उठ चुका

राशन कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष का निधन
बंद रहा वितरण कार्य

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर नगर पंचायत के अयोध्या नगर (जैनपुर) निवासी और सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष रामदास सिंह (65) का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से जिले भर के कोटेदारों में शोक फैल गया। परिजनों के अनुसार बुधवार शाम करीब आठ बजे उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए सीएचसी पुखरायां ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रामदास सिंह जैनपुर के राशन कोटे के संचालक थे और संघ में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके निधन को संगठन के लिए बड़ी क्षति बताया गया है। शोक स्वरूप कई कोटेदारों ने वितरण कार्य बंद रखा और पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी।

तेंदुए की तलाश में जंगलों में भटक रही वन विभाग की टीम, ग्रामीणों में दहशत

लोगों से कहा गया है कि वे अकेले खेतों में न जाएं, बच्चों को बाहर न छोड़ें

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर क्षेत्र की बीहड़ पट्टी में तेंदुए की सक्रियता की आशंका से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले दो दिनों से वन विभाग की टीम लगातार जंगलों और आसपास के खेतों में सघन सर्च अभियान चला रही है। बुधवार को गुबार गांव के जंगली क्षेत्र तथा छोलापुर-दमनपुर के बीच स्थित जंगलों में व्यापक कांबिंग की गई, जबकि गुरुवार को भी अभियान जारी रहा।जानकारी के अनुसार मंगलवार रात खोजा रामपुर गांव में एक नलकूप पर बंधे घोड़े को किसी जंगली जानवर ने मार डाला। ग्रामीणों का दावा है कि हमला तेंदुए ने किया है। घटना के बाद से आसपास के गांवों में भय का माहौल है और किसान सुबह-शाम खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं। कई लोगों ने शाम ढलते ही खेतों में जंगली जानवर जैसी हलचल देखने की बात भी कही है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी अपूर्वा पाण्डेय के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने संदिग्ध इलाकों में तलाशी लेते हुए ग्रामीणों और किसानों से पूछताछ की। टीम ने संभावित ठिकानों, झाड़ियों और पानी के स्रोतों के आसपास विशेष निगरानी की। हालांकि अब तक तेंदुए के स्पष्ट पगचिह्न या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अकेले खेतों में न जाएं, बच्चों को बाहर न छोड़ें और मवेशियों को खुले में न बांधें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जंगली जानवर दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने को कहा गया है।भोगनीपुर के वन रेंजर स्वामी दीन ने बताया कि अलग-अलग टीमों का गठन कर लगातार कांबिंग कराई जा रही है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि जंगली जानवर दिखने पर घबराकर दौड़ें नहीं, बल्कि शांत रहकर धीरे-धीरे सुरक्षित स्थान की ओर हटें। रात में टॉर्च का प्रयोग करने और समूह में आवाजाही करने की सलाह दी गई है।सर्च अभियान में डिप्टी रेंजर गुरुनरायन, वन रक्षक कल्याणी मिश्रा, इंद्रेश यादव सहित अन्य वनकर्मी जुटे हुए हैं। विभाग का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू टीम भी बुलाई जाएगी।

छोलापुर-दमनपुर जंगल में तेंदुए के पगचिह्न देखते वन विभाग के अधिकारी

वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया जोश और प्रतिभा

पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय संगसियापुर में हुई कई प्रतियोगिताएं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय संगसियापुर में गुरुवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूरे दिन विद्यालय परिसर खेल गतिविधियों से गुलजार रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम एनजीओ के अकबरपुर ब्लॉक समन्वयक संदीप यादव, एआरपी अमित तिवारी, ज्ञान बाबू और महाराज सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि खेल शारीरिक क्षमता के साथ अनुशासन और टीम भावना भी विकसित करते हैं।

प्रतियोगिता के अंतर्गत दौड़, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम सहित कई स्पर्धाएं कराई गईं। बच्चों ने पूरे जोश, अनुशासन और खेल भावना के साथ भाग लिया। शिक्षकों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसकी घोषणा विद्यालय के वार्षिक उत्सव में की जाएगी।

प्रधानाध्यापक ने आयोजन को सफल बनाने के लिए विद्यालय स्टाफ का आभार जताया। उन्होंने विशेष रूप से मैदान निर्माण और प्रतियोगिता के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए ब्लॉक पीटीआई कंचन कामिनी को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर नितिन शर्मा, आदित्य, कुलदीप, मनोज, रानी, प्रेमलता, रौनक, आशीष, शोभित, निखिल, प्रांशी सहित अनेक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहायक अध्यापिका सुधा उत्तम, सुप्रिया दुबे, शिक्षामित्र अन्नपूर्णा, समस्त रसोइया, अभिभावक एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत छात्रों का एचबीटीआई में एक्सपोजर विजिट

विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी दी और प्रयोगों का प्रदर्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत मलासा ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीआई), कानपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्र कानपुर देहात के निर्देशन एवं खंड शिक्षा अधिकारी मलासा आनंद भूषण के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

इस शैक्षिक भ्रमण में मलासा कंपोजिट विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय सिगरसीपुर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय मावर,के चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर छात्रों का स्वागत किया गया और उन्हें विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया गया।छात्रों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित एवं इंजीनियरिंग से संबंधित आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को करीब से देखा। विशेषज्ञों ने सरल भाषा में वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी दी और प्रयोगों का प्रदर्शन कर समझाया। रोबोटिक्स लैब, मैकेनिकल वर्कशॉप और सिविल इंजीनियरिंग विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट्स ने छात्रों को विशेष रूप से आकर्षित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और जिज्ञासा की भावना विकसित करना रहा। शिक्षकों ने बताया कि ऐसे शैक्षिक भ्रमण से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों के वातावरण से परिचित होने का अवसर मिलता है।अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़ने की प्रेरणा मिल सके। भ्रमण के दौरान एआरपी (नोडल) अश्वनी कटियार, सपना सिंह, अनीता वर्मा, सुनीता, अरविंद प्रजापति, बच्चों के साथ मौजूद रहे।

जनता की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता बरती जाए

» एसपी ने अमरौधा पुलिस चौकी का किया औचक निरीक्षण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। एसपी कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने थाना भोगनीपुर क्षेत्र की पुलिस चौकी अमरौधा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद कर उनके दैनिक कार्यों, चुनौतियों एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की।

एसपी ने चौकी की आधारभूत सुविधाओं, अभिलेखों के संधारण, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण तथा आमजन के साथ पुलिस के व्यवहार का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कहाकि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के साथ-साथ अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए और जनता की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता व तत्परता बरती जाए। स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय, प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर अमरेंद्र बहादुर, चौकी प्रभारी अमरौधा अमित पोरवाल सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

जनसुनवाई में प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस प्रदेश में टॉप !

जनशिकायत निस्तारण में सीपी जोगेंद्र कुमार के नेतृत्व में मिल रहा जनता को अभूतपूर्व लाभ

राहुल अग्निहोत्री/स्वराज इंडिया

प्रयागराज। आप सभी को बताते चले कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष निगरानी में संचालित जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण में प्रयागराज कमिश्नरेट ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली और जनहित प्राथमिकता के बल पर जनवरी माह 2026 की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में राज्य के अन्य कमिश्नरेट व जनपदों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है।उल्लेखनीय है कि प्रयागराज कमिश्नरेट की धरती में तैनात तेजतर्रार छवि के कर्तव्यनिष्ठ व न्यायप्रिय पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के कुशल संवेदनशील नेतृत्व,दूरदर्शी सोच,शानदार रणनीति एवं कड़ी निगरानी का परिणाम है कि सभी 42 थानों ने जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस)पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा गुणवत्तापूर्ण समाधान कर प्रथम स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया है कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता व पारदर्शिता के साथ शिकायत निस्तारण में काम किया गया है।

इस उपलब्धि पर पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा कि अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था,पुलिस उपायुक्त यमुनानगर नोडल (आईजीआरएस) एवं सहायक पुलिस आयुक्त प्रभारी आईजीआरएस सहित पूरी टीम के समर्पण,पारदर्शिता और बेहतर संवेदनशील कार्यप्रणाली का परिणाम है।हमारा उद्देश्य मात्र निस्तारण नहीं,गुणवत्तापूर्ण समाधान देना है,ताकि आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूती के साथ स्थापित हो सके।साथ ही उन्होंने आईजीआरएस शाखा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए बधाई दी और पुरस्कार देने की घोषणा की है।प्रयागराज कमिश्नरेट का शीर्ष प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि मजबूत नेतृत्व और जवाबदेही-आधारित कार्यशैली जनता के विश्वास और प्रशासनिक प्रभावशीलता को निरंतर मजबूत कर रही है।

निर्माणाधीन विधवा आवास पर बवाल, पड़ोसियों पर धमकी और तोड़फोड़ के आरोप

»सौरिख क्षेत्र के मढ़नेपुर गांव का मामला, पुलिस जांच में जुटी

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कन्नौज। सौरिख थाना क्षेत्र की नादेमऊ चौकी के मढ़नेपुर गांव में निर्माणाधीन विधवा आवास को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गांव की एक विधवा महिला ने पड़ोसियों पर दबंगई दिखाते हुए निर्माण रुकवाने, गाली-गलौज और दीवार गिराने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

गुड्डी देवी पत्नी स्व. मेवाराम ने बताया कि उनके पति की 13इ14 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। वह मजदूरी कर पांच बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं। कच्चा मकान जर्जर होने के कारण वह पुराने छप्पर वाले हिस्से में रह रही थीं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्राम प्रधान अमित यादव की मदद से उन्हें विधवा आवास स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण पुराने मकान की नींव और दीवार के आधार पर कराया जा रहा है।

महिला का आरोप है कि पड़ोसी नरेश चंद्र, संतोष कुमार, कल्लू उर्फ सुरेश, संगीता देवी और गिरजा देवी निर्माण कार्य रुकवा रहे हैं। एक कोने की ओर पहले से निकाले गए छज्जे को लेकर भी विवाद है। पीड़िता ने एक आरोपी पर गलत नजर रखने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जंग खाए बिजली के पोलों पर टिका सिस्टम, किस हादसे का इंतजार?

लाइनमैन के चढ़ने पर टूटा पोल, जांच में 8 जर्जर खंभे मिले, फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। शहर में बिजली विभाग की लापरवाही अब सीधे लोगों की जान पर भारी पड़ती दिख रही है। जर्जर और जंग खाए पोलों को समय रहते बदलने के बजाय मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। सवाल यह है कि क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है?जसमई बिजली उपकेंद्र के आरएमआर फीडर क्षेत्र में मरम्मत के दौरान एक बिजली पोल अचानक बीच से दरक कर टूट गया। उस पर चढ़ा लाइनमैन बाल-बाल बचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पोल नीचे से पूरी तरह गल चुका था। टूटते ही वह सड़क पार मकान के जाल पर जा गिरा। लाइनमैन ने बंच केबल पकड़कर किसी तरह जान बचाई। अगर नीचे राहगीर होते तो बड़ा हादसा तय था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग को पहले से जर्जर पोलों की जानकारी थी। सर्वे भी कराया गया, लेकिन बदहाल पोल बदले नहीं गए। हादसे के बाद भी गिरे पोल को बदलने के बजाय तारों के सहारे दूसरे पोल से बांधकर खड़ा कर दिया गया, जो और बड़ा खतरा पैदा कर रहा है।

म्युनिसिपल स्कूल फतेहगढ़ स्थित जर्जर पोल

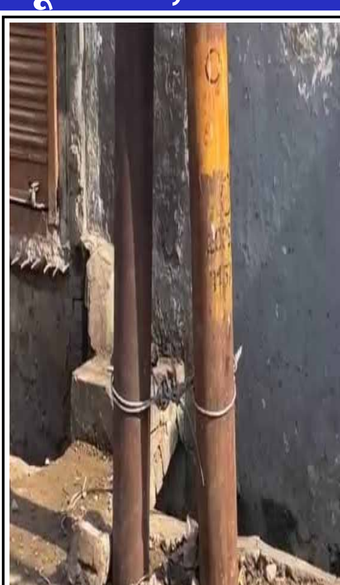

बजरिया रोड पर बांधे गए पोल

जांच में 8 पोल जर्जर, फिर भी धीमी कार्रवाई

एसडीओ की जांच में 8 पोल बेहद जर्जर मिले हैं। सवाल उठ रहा है कि जब हालत इतनी खराब थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सर्वे सिर्फ कागजों तक सीमित है?

कचहरी मार्ग पर भी खतरा, विभाग बेखबर

कोतवाली फतेहगढ़इकचहरी मार्ग पर म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के पास लगा पोल भी जंग खाकर कमजोर हो चुका है। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक न बदलने की कार्रवाई हुई, न सुरक्षा इंतजाम।

योगी सरकार ने अयोध्या पर की धनवर्षा

» दसवें बजट में खोला खजाना, 250 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात

तीर्थ विकास परिषद को 150 करोड़, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दसवें बजट में रामनगरी अयोध्या को बड़ी सौगात देते हुए 250 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की है। इस ऐलान के साथ ही अयोध्या को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने एक बार फिर अपनी मंशा साफ कर दी है। बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अयोध्या के पर्यटन और सर्वांगीण विकास के लिए यह विशेष पैकेज मंजूर किया गया है, जिससे रामनगरी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की तैयारी है।

श्री अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के माध्यम से पर्यटन अवस्थापना के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से बेहतर सड़कें, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, गेस्ट हाउस समेत श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अयोध्या को स्मार्ट और सुव्यवस्थित तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित करना है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके।

अयोध्या के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से प्रस्तावित किए गए हैं। इस धनराशि से स्वच्छता अभियान हरित क्षेत्रों का विस्तार निर्माण कार्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा जैसी योजनाओं को गति दी जाएगी। साथ ही अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के सीईओ जयेंद्र कुमार ने कहा कि बजट मिलने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। बजट की घोषणा के बाद संत समाज और स्थानीय नागरिकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ज्योतिष पीठाधीश्वर महंत राकेश तिवारी ने कहा ÷योगी सरकार ने साबित कर दिया कि राम भक्ति भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि विकास की ठोस नीति भी है। यह बजट अयोध्या को सुंदर, सुगम और आधुनिक बनाएगा।÷ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इसे 'राम राज्य' की दिशा में बड़ा कदम बताया। स्थानीय व्यापारी अंजनी गर्ग ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ी है, लेकिन सुविधाओं की कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा ÷150 करोड़ से तीर्थ क्षेत्र का कायाकल्प होगा और 100 करोड़ से शहर के अन्य हिस्सों का विकास होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।÷

गेहूं वैज्ञानिक डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विवि के कुलपति

इंग्लैंड दौरे से लौटकर विश्वविद्यालय का औपचारिक कार्यभार ग्रहण करेंगे

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक और गेहूं अनुसंधान के अग्रणी विशेषज्ञ डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज (अयोध्या) का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है।डॉ सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने 28 अक्तूबर 2022 को इस पद का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वर्ष 2016 से वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के निदेशक रह चुके हैं। डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को गेहूं सुधार कार्यक्रम में ऐतिहासिक योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक 27 उन्नत गेहूं किस्मों का विकास किया है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ सिंह को दर्जनों राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें कृषि विज्ञान में अतिविशिष्ट योगदान के लिए 'विज्ञान श्री' पुरस्कार से सम्मानित किया था। नवनियुक्त कुलपति डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इस समय भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं।

उनके निकट संबंधियों के अनुसार वे आज भारत लौटकर विश्वविद्यालय का औपचारिक कार्यभार ग्रहण करेंगे। डॉ सिंह की नियुक्ति से विश्वविद्यालय में शोध, नवाचार और कृषि तकनीक के क्षेत्र में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके नेतृत्व में अयोध्या का यह कृषि विवि राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाएगा।

बुजुर्ग की लाठियों से पीट पीट कर हत्या, पूरा परिवार हुआ घायल

» दरवाजा लगाते समय भड़का विवाद, दबंगों ने बरपाया कहर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जमीनी विवाद की आग में एक और परिवार उजड़ गया। थाना कुमारगंज क्षेत्र के चौधरीपुर गांव में मामूली-सी बात पर भड़के विवाद ने खूनखराबे का रूप ले लिया। घर में दरवाजा लगाना एक बुजुर्ग के लिए आखिरी काम साबित हुआ। दबंगों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सवाल उठ रहा है कि जब दोनों पक्षों में महीनों से विवाद चल रहा था और पुलिस पाबंदी भी लगा चुकी थी, तो फिर यह खूनी वारदात कैसे हो गई?

चौधरीपुर गांव निवासी जमुना प्रसाद यादव (65 वर्ष) अपने घर पर दरवाजा लगवा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी पक्ष से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि विपक्षी पक्ष हिंसा पर उतर आया। मृतक के पुत्र राम अवतार के मुताबिक, देवनारायण, गीता, राम विशाल सहित अन्य लोगों ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने जमुना प्रसाद के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े।

हमले के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची मृतक की पत्नी प्रेमा देवी (60), बेटा राम अवतार, आशाराम, बहू कुसुम और अंजलि भी बुरी तरह घायल हो गए। दबंगों की बेरहमी यहीं नहीं रुकी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बख्शा गया। परिजन आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल जमुना प्रसाद को संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय कुमारगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक जमुना प्रसाद यादव नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच महीनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और पुलिस पाबंदी भी लगा चुकी थी। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

ऑटो सवार 'लुटेरी लेडी गैंग' ने पार किया युवती का मंगलसूत्र

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अंबेडकरनगर की एक युवती को ऑटो में बैठना उस वक्त भारी पड़ गया, जब शातिर महिला टप्पेबाजों के गिरोह ने उसे अपना शिकार बना लिया। देवकाली बाईपास के पास हुई इस वारदात ने पुलिस की गश्त और सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शाम को युवती जैसे ही ऑटो में बैठी, पहले से मौजूद चार महिलाएं उसके चारों ओर घेराबंदी कर बैठ गईं। कभी धक्का, कभी शरीर से सटकर ध्यान भटकाया गया। इसी दौरान एक महिला ने चालाकी से उसके पैर में पैर रगड़कर पायल का कुंडा खोल दिया। पायल गिरते ही युवती झुकी और यही पल था जब गिरोह ने उसके गले से मंगलसूत्र काट लिया। इसके बाद एक महिला ने उल्टी आने का नाटक किया, ऑटो रुकवाया और उतर गई। फिर देखते ही देखते बाकी महिलाएं भी फरार हो गईं। जब तक युवती कुछ समझ पाती, उसके गहने लुट चुके थे और अपराधी हवा हो चुके थे। घटना के बाद परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। कैंट कोतवाली क्षेत्र के मुमताजनगर निवासी अमित कुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी भांजी सोनल गुप्ता अंबेडकरनगर के अलीगंज थाना क्षेत्र की निवासी है ।

नगर निगम का बड़े बकायेदारों पर शिकंजा, वसूले 11 लाख

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। गृहकर और जलकर न चुकाने वाले बड़े बकायेदारों पर नगर निगम ने आखिरकार सख्ती का चाबुक चला दिया है। बुधवार को चलाए गए विशेष अभियान में नगर निगम की टीम ने 14 बड़े बकायेदारों के यहां छापेमारी कर करीब 11 लाख रुपये की वसूली की।

कार्रवाई के बाद बकाया रखने वालों में खलबली मच गई है। नगर निगम के इस अभियान को कर वसूली के क्षेत्र में अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाई माना जा रहा है।अपर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि गठित वसूली दल में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, कर निर्धारण अधिकारी विनय प्रताप सिंह, कर अधीक्षक जयप्रकाश सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों से मौके पर ही बकाया वसूला, जिसमें अवध होटल, कौशलपुरी 1 लाख, त्रिपाठी होटल, सहादतगंज 2 लाख, आजाद प्रकाशन 3.28 लाख, मेगा शॉप 1 लाख, ट्रिपल लाइन होटल 1.26 लाख, गोपाल रस्तोगी 1 लाख, भूपेंद्र कुमार 67,047, सेठ लड्डू लाल 62,700 रुपए की वसूली कर तत्काल रसीद सौंपी गई।

कार्रवाई के दौरान जयप्रकाश नारायण वार्ड निवासी गोपाल रस्तोगी के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

दबाव बढ़ते ही उन्होंने बकाया राशि जमा कर दी, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। इससे साफ है कि नगर निगम अब सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे कुर्की तक पहुंचने के मूड में है।

नगर निगम ने एमएस फर्नीचर, मंत्रा होटल, पुष्पक इन होटल सहित कई बड़े बकायेदारों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने की सख्त चेतावनी दी है। समय सीमा में टैक्स न जमा करने पर सीलिंग और कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर और जॉर्डन में बढ़ाई तैनाती

ईरान ने किसी हमले की स्थिति में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। मिडिल-ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों में कतर और जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों की बढ़ी मौजूदगी देखी गई है। विशेषज्ञ इसे संभावित खतरे के मुकाबले के लिए अग्रिम तैयारी और रक्षा-तैनाती का संकेत मान रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार कतर के अल-उदीद एयर बेस, जो मध्य-पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ट्रक-माउंटेड मोबाइल लॉन्चरों पर तैनात किया गया है। इस व्यवस्था से जरूरत पड़ने पर सिस्टम को तेजी से स्थानांतरित और सक्रिय किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजरी में जनवरी की तुलना में फरवरी 2026 में एयरबेस पर सैन्य विमानों और उपकरणों की संख्या में स्पष्ट बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

तस्वीरों में RC-135 जासूसी विमान, C-130 और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, KC-135 स्ट्रैटोटैंकर और HEMTT वाहनों पर लगे MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दिए हैं। इसी तरह जॉर्डन के मुहाफ्फाक एयर बेस पर भी F-15E फाइटर जेट, A-

10 अटैक एयरक्राफ्ट, C-17, C-130 और EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान की तैनाती देखी गई है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा क्षमता बढ़ती है। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम और संभावित मिसाइल खतरों को देखते हुए उठाया गया माना जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ाने का दावा किया है और किसी हमले की स्थिति में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।

पैट्रियट (MIM-104) एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है।

इसे रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन बनाते हैं और अमेरिका सहित कई सहयोगी देशों की सेनाएं इसका उपयोग करती हैं। इससे पहले 2003 के इराक युद्ध और 2019 में सऊदी अरब में भी पैट्रियट और THAAD सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं।

- कतर के अल-उदीद एयर बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मोबाइल तैनाती
- सैटेलाइट तस्वीरों में जनवरी के मुकाबले फरवरी में सैन्य संसाधन बढ़े
- RC-135, C-130, C-17 और KC-135 विमान की बढ़ी मौजूदगी दर्ज
- HEMTT वाहनों पर लगे MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिखे
- जॉर्डन के मुहाफ्फाक एयर बेस पर F-15E, A-10 और EA-18G विमान तैनात
- मोबाइल लॉन्चर से त्वरित तैनाती और लोकेशन बदलना आसान
- ईरान ने हमले की स्थिति में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी
- पैट्रियट सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल रोकने में सक्षम
- पहले इराक युद्ध (2003) और सऊदी अरब (2019) में भी हो चुकी है तैनाती

सेंट्रल विस्टा परियोजना के बीच कृषि भवन की 100 साल पुरानी कदीमी मस्जिद पर संकट

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी 'कदीमी मस्जिद' के अस्तित्व पर संकट की आशंका गहराती दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड की याचिका पहले ही खारिज किए जाने और CPWD द्वारा जारी नए टेंडर के बाद मस्जिद को लेकर विवाद फिर उभर आया है। हालांकि केंद्र सरकार पहले अदालत में धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दे चुकी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में वक्फ बोर्ड की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि बोर्ड तब दोबारा अदालत आ सकता है, जब उसे अपनी संपत्ति पर वास्तविक खतरा महसूस हो। याचिका में कृषि भवन की मस्जिद समेत छह धार्मिक स्थलों को संरक्षण देने की मांग की गई थी। 1 दिसंबर 2021 को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इन धार्मिक स्थलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 19 जनवरी 2026 को CPWD ने कृषि भवन और शास्त्री भवन के पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी किया। हटाई जाने वाली संरचनाओं की सूची में मस्जिद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन संलग्न ड्रॉइंग में प्रस्तावित नए भवन के नक्शे में मस्जिद अपने मूल स्थान पर नहीं दिखाई

- टेंडर ड्रॉइंग में नहीं दिखा ढांचा, दिल्ली हाईकोर्ट वक्फ बोर्ड की याचिका पहले ही खारिज कर चुका

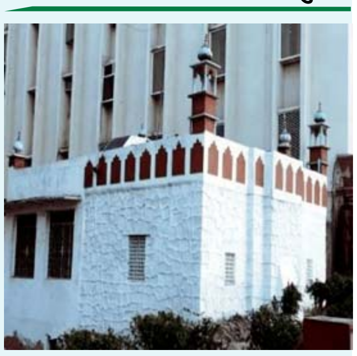

गई है।

मस्जिद कृषि भवन के खुले प्रांगण में स्थित है और मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी नमाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह स्थ्रु संरक्षित स्मारक नहीं है, लेकिन 1970 के राजपत्र में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है।

वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने कहा कि सरकार ने पहले इसे प्रभावित न करने का आश्वासन दिया था। CPWD ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) भवन 4 और 5 के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है, जिसकी अनुमानित लागत 3,006.07 करोड़ रुपये है और अवधि 24 महीने तय है।

मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अमजद हरसौली ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

कार्बाइन-पिस्टल और लूटी बाइक बरामद, एसपी देहात की गाड़ी पर भी लगी गोली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश अमजद हरसौली मारा गया। मुठभेड़ के दौरान दरोगा संदीप चौधरी और सिपाही अशफाक गोली लगने से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक बुढ़ाना थाना क्षेत्र के जंगलात वाले ग्रामीण इलाके में बदमाश की लोकेशन मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। टीम ने आरोपी को कई बार सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन उसने कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए बुढ़ाना सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की ओर से हुई फायरिंग में

एसपी देहात आदित्य बंसल की गाड़ी भी गोली लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के शीशे टूट गए और बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियों के निशान मिले हैं।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर बताया कि मुठभेड़ करीब 20-25 मिनट तक चली। ऑपरेशन एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें बुढ़ाना, शाहपुर और तितावी थानों की

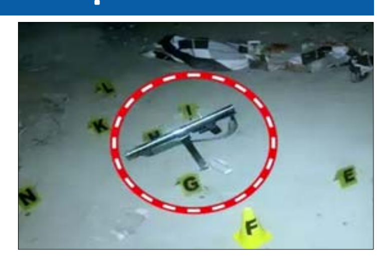

एक नजर में

- तड़के 3:30 बजे बुढ़ाना क्षेत्र में मुठभेड़
- 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर
- दरोगा व सिपाही गोली लगने से घायल
- एसपी देहात की गाड़ी पर भी लगी गोली
- कई राज्यों में दर्ज थे आपराधिक मुकदमे
- 20-25 मिनट चली क्रॉस फायरिंग

टीमें शामिल रहीं। मारे गए बदमाश की पहचान अमजद (40) निवासी हरसौली, थाना शाहपुर के रूप में हुई है।

उसके खिलाफ यूपी, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड में लूट, हत्या और डकैती समेत करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 9 एमएम कार्बाइन, एक पिस्टल, लूटी हुई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com